रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 1998/पौष 24, 1919
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 1998/PAUSA 24, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

स. टी ए एम पी /1/97-MPT.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न ब्यौरों के अनुसार मैसर्स कावेरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. के आवेदन को अस्वीकार करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

आदेश

(26 दिसम्बर, 1997 को पारित)

यह मामला चेन्नै पत्तन न्यास में मै. कावेरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज द्वारा अपने न उठाए कार्गो के संबंध में विलम्ब प्रभारों से छूट देने के लिए उनके द्वारा अगस्त 1997 में दायर की गई एक अपील से संबंधित है।

2. फर्म ने सामग्री की कीमत और विलम्ब प्रभारों के ब्यौरे प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया था कि 5 करोड़ रु. की कुल कीमत की सामग्री की तुलना में 2.5 करोड़ रु. का विलम्ब प्रभार लगाया गया है। फर्म इसे अत्यधिक जुर्माना समझती है। उन्होंने यह अभ्यावेदन किया कि माल को उठाने में विलंब मुख्यत: उन कारणोंवश हुआ है जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। इसी बीच फर्म द्वारा किए गए अभ्यावेदन के संबंध में विलम्ब प्रभारों से छूट देने के मामले पर न्यासी बोर्ड द्वारा विचार किया गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए फर्म अपनी अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के लिए प्राधिकरण के पास पहुंची।

3. इस मामले पर प्राधिकरण ने 26 दिसम्बर, 1997 की बैठक में विचार किया। यह नोट किया गया था कि न्यासी बोर्ड ने स्वयं आवेदक की अपील अस्वीकार कर दी थी। बाद में सरकार को दिए गए एक अभ्यावेदन पर भी कार्यवाही नहीं की गई थी। इन तथ्यों से प्राधिकरण को अपने सहज ज्ञान में यह सहायता प्राप्त होती है कि आवेदक फर्म अपने ग्राहकों से आवश्यक कागजपत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रारम्भिक कार्य के लिए पत्तन न्यास को दोषी नहीं ठहरा सकती। यह तर्क देना भी आवेदक के लिए कानूनी प्रमाणन योग्य नहीं होगा कि कोई विलंब प्रभार नहीं होने चाहिए क्योंकि उन्होंने छूट के लिए पत्तन न्यास को आवेदन किया था। यह सुनिश्चित करना उनका कार्य था कि उनका मामला या तो समय पर स्वीकृत किया जाता अथवा उनका माल समय पर उठाया जाता।

4. फलत: ऊपर दिए गए कारणों की वजह से आवेदन रद्द किया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

THE TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1998

No. TAMP/1/97-MPT.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby reject the application of M/s. Kaveri Engineering Industries Ltd. as per the detailed order appended hereto. .

S. SATHYAM, Chairman

ORDER

(Passed on 26th December, 1997)

This case relates to an appeal filed in August 1997 by M/s. Kaveri Engineering Industries Ltd. for waiver of demurrage charges on their uncleared cargo at the Chennai Port Trust (CHPT).

2. While furnishing details of the cost of materials and demurrage charges by the firm, it has been contended that against the total cost of material of Rs. 5 crores, the demurrage charges imposed are to the extent of Rs. 2.50 crores. The firm considers this to be an excessive penalty. They have represented that the delay in clearance of the goods had been mainly due to reasons beyond their control. In the meanwhile, the matter relating to waiver of demurrage charges on the representation made by the firm was considered and rejected by the Board of Trustees. The firm has, therefore, approached this Authority for sympathetic consideration of their appeal.

3. The matter was considered by the Authority in its meeting held on 26 December,.1997. It was noted that the Board of trustees had itself rejected an appeal by the applicant. Subsequently, a representation made to the Government was also not acted upon. These facts lend support to the Authority's own perception that the applicant firm cannot blame the port trust for their own inability to procure necessary documents from their customers. Also it will not be legally sustainable for the applicant to argue that no demurrage charges should have occurred because they had made an application to the port trust for waiver. It was for them to ensure that either their case was accepted in time or their cargo was cleared in time.

4. In the result, and for the reasons given above, the application is rejected.

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998